

पत्रांक : बी-180/2009- 80

पटना, दिनांक 08 जनवरी, 2020 ई०।

प्रेषक,

बैजूनाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, पटना।

विषय :- राष्ट्रीय मतदाता दिवस (NVD), 2020 संबंधित गतिविधियों के तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर झाँकी निकाले जाने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-39/निर्वा० दिनांक 05.01.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ किया जाये। आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय मतदाता दिवस (NVD), 2020 संबंधित गतिविधियों के तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान, पटना में झाँकी का प्रदर्शन करने से संबंधित विषयवस्तु (Theme) — Electoral Literacy for Stronger Democracy का Concept अनुमोदन हेतु भेजा गया था, जिस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार —सह—सचिव द्वारा अनुमोदन संसूचित की जाती है।

विश्वासभाजन

अति 8.1.2020

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक:- बी-180/2009- 80

पटना, दिनांक 08 जनवरी, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को जिला निर्वाचन पदाधिकारी —सह—जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-39/निर्वा० दिनांक 05.01.2020 की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथा उपर्युक्त।

अति 8.1.2020

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

जिला निर्वाचन कार्यालय
फोन नं० 0612-2203725
E-mail-dyeo_patna@yahoo.co.in

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला निर्वाचन शाखा)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
फोन नं० 0612-2219097(आ०)
0612-2219545(का०)
फैक्स नं०-0612-2218900
E-mail- dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक:- 89 / निर्वा०,

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी, पटना।

सेवा में,

संयुक्त सचिव
निर्वाचन विभाग, बिहार।

विषय :-

राष्ट्रीय मतदाता दिवस (NDV), 2020 संबंधित गतिविधियों के तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर झाँकी निकाले जाने के संबंध में।

प्रसंग:-

संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 8312 दिनांक 24.12.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस (NDV), 2020 संबंधित गतिविधियों के तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय गाँधी मैदान, पटना में झाँकी का प्रदर्शन करने से संबंधित विषयवस्तु (Theme)- Electoral Literacy for Stronger Democracy का Concept तैयार कर अनुमोदन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय गाँधी मैदान, पटना में झाँकी का प्रदर्शन से संबंधित Concept पर अनुमोदन प्राप्त कर संसूचित करने की कृपा की जाये।

अनु०- यथोपरि।

विश्वासभाजन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी, पटना।

निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

विषय वस्तु (Theme)

“मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता”
[Electoral Literacy for Stronger Democracy]

10^{वीं} राष्ट्रीय मतदाता दिवस (NVD) के परिप्रेक्ष्य में सशक्त लोकतंत्र के लिए अधिकाधिक सहभागिता हेतु सभी योग्य/अर्हता प्राप्त नागरिकों का निर्वाचक सूची में पंजीकरण तथा मतदान के समय मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2020 का मूल संकल्प है – “मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता” (Electoral Literacy for Stronger Democracy)। उक्त संकल्पना के क्रम में झाँकी का दो आयाम निम्नवत हैं—

1. निर्वाचक सूची में पंजीकरण –

- अर्हता प्राप्त नागरिकों का नाम निर्वाचक सूची में सम्मिलित किये जाने, मृत/स्थानांतरित/दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों के नाम का विलोपन, निर्वाचक सूची में दर्ज विशिष्टियों की अशुद्धि का संशोधन करने आदि के लिए मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों (BLOs), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AEROs), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (EROs), जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEOs), प्रेक्षक निर्वाचक सूची (E Roll Observer) की भूमिका को झाँकी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब/चुनाव पाठशाला/स्वीप आदि के माध्यम से निर्वाचक सूची से संबंधित गतिविधियों का प्रचार-प्रसार/दृश्यांकन किया जा रहा है।
- मतदाता जागरूकता अभियान का दृश्यांकन किया जा रहा है।
- **“मतदाता होने पर गर्व है”** की संकल्पना का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है।

2. मतदान –

- मतदान के दिन मतदान की प्रक्रिया में सभी मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु मतदान केन्द्र, मतदान केन्द्र पर उपलब्ध कराये जाने वाले मूल-भूत बुनियादी सुविधाएँ (पेय जल, शौचालय, रैम्प आदि), मतदान दल (पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, आदि), मतदान प्रकोष्ठ (जहाँ ई0वी0एम0/वी0वी0पैट रखा गया है), मतदान अभिकर्ता, मतदान केन्द्र पर मतदाताओं का कतार (महिला/पुरुष/दिव्यांग), पर्दानशीन महिलाओं की सुविधा हेतु महिला कर्मियों की उपस्थिति, बी0एल0ओ0 की उपस्थिति (वैसे मतदाता जिन्हें मतदाता पर्ची नहीं उपलब्ध कराया जा सका) का झाँकी के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब/चुनाव पाठशाला/स्वीप आदि के माध्यम से निर्वाचक सूची से संबंधित गतिविधियों का प्रचार-प्रसार/दृश्यांकन किया जा रहा है।
- सुगम मतदान (Accessible Election) के तहत मतदान केन्द्र पर दिव्यांगों हेतु व्हील चेयर के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराये जाने का दृश्यांकन किया जा रहा है।
- मतदाता जागरूकता अभियान का दृश्यांकन किया जा रहा है।
- मतदान गीत—“मतदान करो, मतदान करो” का दृश्यांकन किया जा रहा है।
- **“मतदान के लिए तैयार हैं”** की संकल्पना का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है।

3. झाँकी के अग्र भाग में भारत निर्वाचन आयोग की संकल्पना – “मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता”, निर्वाचन विभाग (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय) का दृश्यांकन किया जा रहा है।

4. झाँकी के पृष्ठ भाग में मतदान के दिन (Poll Day) मतदान की प्रक्रिया में आमजनों (युवाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों आदि) की अधिकाधिक सहभागिता हेतु आवाहन का दृश्यांकन किया जा रहा है।

वास्तविक रूप से झाँकी का दृश्यांकन का संक्षिप्त परिचय

10^{वीं} राष्ट्रीय मतदाता दिवस (NVD) के परिप्रेक्ष्य में सशक्त लोकतंत्र के लिए अधिकाधिक सहभागिता हेतु सभी योग्य/अर्हता प्राप्त नागरिकों का निर्वाचक सूची में पंजीकरण तथा मतदान के समय मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2020 का मूल संकल्प है – “मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता” (Electoral Literacy for Stronger Democracy)।। उक्त संकल्पना के क्रम में झाँकी का प्रदर्शन निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर किया जा रहा है –

1. झाँकी का अग्र भाग –

- भारत निर्वाचन आयोग का फ्लैक्स बैनर के माध्यम से तैयार किया ‘लोगो’, झाँकी का थीम, निर्वाचन विभाग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा प्रस्तुति का प्रदर्शन।
- मतदाताओं द्वारा फ्लैक्स बैनर, छोटे-छोटे स्लोगन आदि को हाथ में लेकर प्रदर्शन। मतदाता जागरूकता से संबंधित टी-शर्ट, टोपी, स्टीकर, बैज, यूनिफार्म आदि का उपयोग मतदाताओं द्वारा किया जाना।
- मतदाता साक्षरता गान – मतदान करो, मतदान करो..... का प्रदर्शन,

2. निर्वाचक सूची में पंजीकरण –

- अर्हता प्राप्त नागरिकों का नाम निर्वाचक सूची में सम्मिलित किये जाने, मृत/स्थानांतरित/दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों का नाम का विलोपन, निर्वाचक सूची में दर्ज विशिष्टियों की अशुद्धि का संशोधन करने आदि के लिए मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों (BLOs), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AEROs), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (EROs) की भूमिका को झाँकी के माध्यम से प्रस्तुतीकरण।
- बी.एल.ओ. अपने बी.एल.ओ. किट के साथ भ्रमण करते हुए नजर आयेंगे।
- EROs & AEROs के कार्यालय का दृश्यांकन।
- आम नागरिकों का भ्रमण, बी.एल.ओ. से पूछ-ताछ आदि।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब/चुनाव पाठशाला/स्वीप आदि के माध्यम से निर्वाचक सूची से संबंधित गतिविधियों का प्रचार-प्रसार/दृश्यांकन किया जाना।
- वाहन द्वारा प्रचार-प्रसार आदि।
- मतदाता जागरूकता अभियान का दृश्यांकन।
- “मतदाता होने पर गर्व है” की संकल्पना का प्रस्तुतीकरण आदि।

3. मतदान –

- मतदान के दिन मतदान की प्रक्रिया में सभी मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु मतदान केन्द्र, मतदान केन्द्र पर उपलब्ध कराये जाने वाले मूल-भूत बुनियादी सुविधायें (पेय जल, शौचालय, रैम्प आदि), मतदान दल (पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, आदि), मतदान प्रकोष्ठ (जहाँ ई0वी0एम0/वी0वी0पैट रखा गया है), मतदान अभिकर्ता, मतदान केन्द्र पर मतदाताओं का कतार (महिला/पुरुष/दिव्यांग), पर्दानशीन महिलाओं की सुविधा हेतु महिला कर्मियों की उपस्थिति, बी0एल0ओ0 की उपस्थिति (वैसे मतदाता जिन्हें मतदाता पर्ची नहीं उपलब्ध कराया जा सका) का झाँकी के माध्यम से प्रस्तुतीकरण।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब/चुनाव पाठशाला/स्वीप आदि के माध्यम से मतदान से संबंधित गतिविधियों का प्रचार-प्रसार/दृश्यांकन।
- सुगम मतदान (Accessible Election) के तहत मतदान केन्द्र पर दिव्यांगों हेतु व्हील चेयर के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराये जाने का दृश्यांकन।
- मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ई0वी0एम0, वी0वी0पैट के माध्यम से मत देने से संबंधित जानकारी का प्रदर्शन।
- LED T.V. के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किये गये छोटे-छोटे विडियो का दृश्यांकन।
- “मतदान के लिए तैयार हैं” की संकल्पना का प्रस्तुतीकरण।
- मतदान केन्द्र से संबंधित सम्पूर्ण सेट का दृश्यांकन।

4. झाँकी के पृष्ठ भाग –

- 05 वर्ष से 18 वर्ष तक आयु के छात्राओं (कुछ फ्यूचर वोटर, कुछ नये वोटर) के समूह का दृश्यांकन। अंतिम छात्राओं द्वारा मतदान की प्रक्रिया में युवाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों आदि की अधिकाधिक सहभागिता हेतु आवाहन का दृश्यांकन।
- “18 की हो चुकी – मतदान के लिए तैयार हैं” का दृश्यांकन।

Electoral Literacy for Stronger Democracy									
मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता									
मतदान		मतदाता सूची में पंजीकरण		मतदाता साक्षरता					
सौचालय	मतदान केंद्र (Polling Station)	मतदाता साक्षरता अभियान गति मतदान करो मतदान करो		ERO कोई मतदाता छूटने न पाये चैनर एवं पोस्टर	ERO नये मतदाता का पंजीकरण ऑन लाइन/ऑफ लाइन www.nvsp.in Tollfree No-1950				
		मतदान प्रकोष्ठ	मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO)	मतदान केंद्र	मतदाता	चुनाव पाठशाला ईवीएम/मीएमवीएट के द्वारा मतदान सुविधा चैनर एवं पोस्टर	3rd Gen.	महिला	पुरुष
मतदान अभिकर्ता	सुगम मतदान								
पेय जल	पो	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र
गार्डिन	P3	P2	P1	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र	मतदान केंद्र
मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता									
Electoral Literacy for Stronger Democracy									

निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता

स्टाफ

ड्राइवर